उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

संख्या-01/2021/114/43-2-2021-15/2(2)/2014

लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन 2005) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारीअधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)/2003टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के संशोधन के अधीन श्री भवेश कुमार सिंह पुत्र श्री बद्री नारायण सिंह को अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करती हैं।

2- सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्तें और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें) नियम, 2019 के नियम 12 के अनुसार यह नियुक्ति श्री भवेश कुमार सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक के लिये, जो भी पहले हो, होगी।

3- श्री भवेश कुमार सिंह को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर अनुमन्य वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबन्धन और शर्तें, पूर्वोक्त नियम, 2019 के अध्याय-चार में उल्लिखित नियमों के अधीन अवधारित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव।
2- अपर मुख्य सचिव,मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- उत्तर प्रदेश के समस्त मा0 मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
4- श्री भवेश कुमार सिंह पुत्र श्री बद्री नारायण सिंह, नि0-5/202, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
12- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
14- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
15- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
16- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
17- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।